IN THE COURT OF THE 2ND ADDL SESSION JUDGE AT DURG

Sess.Case : 233Ø92

State of Madhya Pradesh

V/s

Chandrakant Shah & others ... Accussed.

Application on behalf of Chattisgarh Mukti Morch Praying ~~af~~ for decorum in the precinets of the Court room during the trial.

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

1. The above matter is being heard before this Hon'ble Court.

2. That from 7.7.93 to 31.1.95 the proceedings were held in camera. The overbearing presence of the accused persons was apparent during those days. It was under those conditions that the applicants filed a petition before the Hon'ble High Court asking for an trial in Open Court. The Hon'ble High Court vide its order dated 17.2.95 in W.P. 152 of 1995 directed that the trial be held in Open Court.

3. That the purpose of having Open Court is that justice is administered in the interest of all and the highest in the land together with the lowest may enter the temples of justice without hesitation and with prayerful humility. This point has been made in case after case by the Supreme Court and in all courts of democratic countries.

...p/2

That it is indeed strange that the trial of a legendary trade union leader such as Shaheed Shankar Guha Neogi was held in camera at all.

4. That members and supporters of Chhatisgarh Mukti Morcha have been attending the trial and have a right to sit and watch the proceedings to have access to the place of trial. However, it is unfortunate that from the beginning the Presiding Judge has allowed the accused to sit along with the advocates on the bench instead of the making them sit in their appropriate place.

5. That this Hon'ble Court had passed an order on 31.1.95 giving permission to the accused to sit. However, this does not include the right of the accused to sit with the lawyers and the general public.

6. That the accused have been allowed to address the court directly by shouting out comments, and have been seen chewing tobacco, passing around sweat-meats, coconut and money.

7. That on May 23, 1995 the members of Chhatisgarh Mukti Morcha came to attend the trial. They were rudely made to get up from the benches and the persons accused of murder of Comrade Neogi were given their seats.

8. That the Applicant submits the following six affidavits :-

a) Smt Sumrit Bai
b) Shri Ram Bharose
c) Smt Urmila Bai
d) Smt Mana Bai
e) Smt Dulari Bai

...p/3

Stating how deeply distressed they have been at the way the proceedings have been conducted and whether it is a reflection of a bias of the legal system to treat the workers and revolutionaries with such contempt and criminals with such respect.

9. That it is respectfully prayed that this Hon'ble court make arrangements for more benches for the public and direct that the accused sit in their proper place and maintain proper decorum.

Advocate for
Chhatisgarh Mukti Morcha

COURT FEE INDIA 50 PAISE

CANCELLED

समक्षः श्रीमान पब्लिक नोटरी, दुर्ग (म०प्र०)

शपथ – पत्र :–

मैं, सुमरित बाई जौजे सुरजमान, उम्र ३५ साल निवासी राजीव नगर, एल०आई०सी० चौक, भिलाई त० जिला दुर्ग निम्न कथन शपथपूर्वक करती हूँ :–

(१) यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्पन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह एवं अन्य माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लंबित है।

(3) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करनेवाला शहीद नियोगी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई बंद कमरे में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा प्रकरण की सुनवाई पुनः खुला अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूत हुई हैं।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में ~~आज~~ दिनांक ~~२४~~२६-५-९५ को उक्त प्रकरण की सुनवाई होने पर मैं भी अदालत कक्ष में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपीगण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुलजिम कटघरा (Accussed Box) खाली था, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कई वकील महोदय लोग भी खड़े थे।

(६) यह कि चाय की छुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्ष में रखी गई बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभियुक्तगणों व पुलिस कर्मियों को बैठाने के लिये बेंच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों को अदालत कक्ष में बैठने की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है। सोनी कुमारी [signature]

शपथकर्ता,

सत्यापन :– मैं, सुमरित बाई जौजे सुरजमान, सत्यापित करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका १ से ७ तक के समस्त कथन मेरी जानकारी से सही हैं, अतः आज दिनांक २४-५-९५ को पढ़कर, समझकर अपना ~~हस्ताक्षर~~ अंगूठा निशानी (हस्ताक्षर) में कर दिया।

शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूँ।

[signature]

(D. Sanjivi)

सोनी कुमारी [signature]

NOTARY ... C.P. ... दुर्ग

शपथ कर्ता

[illegible] सुमरित[illegible]

पहचान कर्ता

Sanjiv

सुमरित वार्द

पति श्री [illegible] ए. सी. सी.

श्री डी. संजीव एडवोकेट एडवोकेट (D. Sanjiv Advocate

24/5/95

S. P. Agrawal

24/5/95

NOTARY

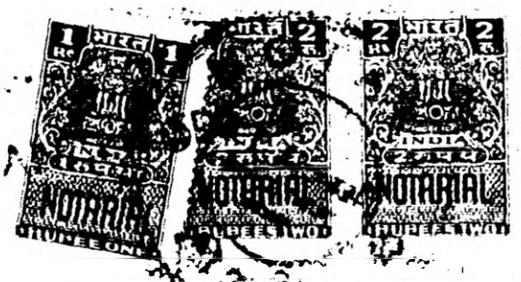

समक्ष: श्रीमान पब्लिक नोटरी, दुर्ग (म०प्र०)

-: शपथ - पत्र :-

मैं रामभरोसा आत्मज गयाराम, उम्र ३४ साल, साकिन कुरुद, तहसील व जिला दुर्ग निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करता हूँ :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा का सदस्य हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्पन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह एवं अन्य माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लंबित है।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शोषण रोकने हेतु मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद नियोगी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अतिमहत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई बंद कमरे में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रकरण की सुनवाई पुनः खुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूत हुई है।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में आज दिनांक २४-५-९५ को उक्त प्रकरण की सुनवाई होने पर मैं भी अदालत कक्ष में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपीगण अदालत की बैंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुलजिम कटघरा (accused Box) खाली था जबकि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कई वकील महोदय लोग भी खड़े थे।

(६) यह कि चाय की छुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्ष में रखी गई बैंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभियुक्तगणों व पुलिस वालों को बैठाने के लिये बैंच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा से संबंधित मजदूर साथियों की अदालत कक्ष में बैठने की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत है।

रामभरोसा

शपथकर्ता

सत्यापन :- मैं रामभरोसा आत्मज गयाराम, निवासी कुरुद, शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की कण्डिका १ से ७ तक में वर्णन मेरी जानकारी में सत्य है, अतः आज दिनांक २४-५-९५ को पढ़कर, समझकर अपना हस्ताक्षर, दुर्ग में कर दिया।

शपथकर्ता

२।७।९२

अपभोजना
बच्चा का नाम ... अपराजय कुमार
श्री संजीव अग्रवाल
तारीख २४।५।९५

S. P. Agrawal

D. Sanjiv Agrawal

२४।५।९५

NOTARY
S. P. Agrawal

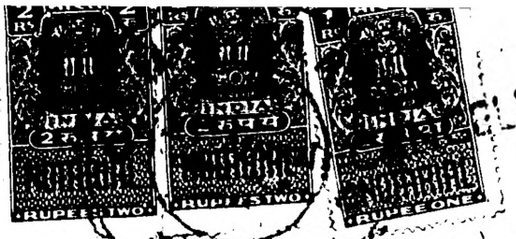

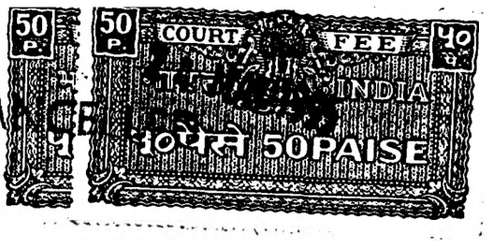

समक्ष:- श्रीमान् [illegible], दुर्ग (म०प्र०)

-: शपथ-पत्र :-

मैं, अनीता बाई जौजे शुक्रेन, उम्र ३२ साल निवासी पावर हाउस चौक, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग निम्नलिखित शपथपूर्वक करती हूं:-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करती हूं तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूं।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्पन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह एवं अन्य माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लंबित है।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद नियोगी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई बंद कमरे में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा प्रकरण की सुनवाई पुनः खुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूर हुई है।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में आज दिनांक २४-५-९५ को उक्त प्रकरण की सुनवाई होने पर मैं भी अदालत कक्ष में उपस्थित हुआ था, जहां मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपीगण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुलजिम कटघरा (accused Box) खाली था, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहां तक कई वकील महोदय लोग भी खड़े थे।

(६) यह कि चाय की छुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्ष में रखी गई बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभियुक्तगणों व पुलिस कर्मियों को बैठाने के लिये बेंच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों की अदालत कक्ष में बैठने की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता, अनीताबाई

सत्यापन:- मैं अनीताबाई जौजे शुक्रेन, सत्यापित करती हूं कि शपथ-पत्र की कण्डिका १ से ७ तक के कथन मेरी जानकारी से सही है, अतः आज दिनांक २४-५-९५ को पढ़कर, समझकर अपना ~~हस्ताक्षर~~ अंगूठा निशानी, बा. में कर दी।

शपथकर्ता,

अनीताबाई

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूं।

शपथकर्ता

पहचानकर्ता

D. Sanjivi
Advocate

24/5/95

S.P. Ograwal

24/5/95

NOT

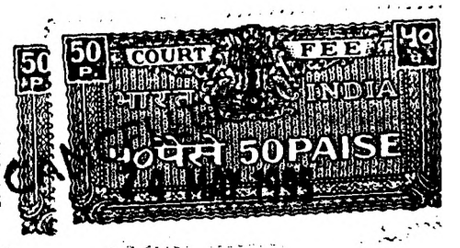

समक्ष: श्रीमान प्राधिकृत नोटेरी, दुर्ग (म.प्र.)

-: शपथ-पत्र :-

मैं माना बाई जौजे काशीराम, उम्र 35 साल निवासी घासीदास नगर जामुल तहसील व जिला दुर्ग निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक कथन करती हूँ :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्पन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह एवं अन्य माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लंबित है।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करनेवाला शहीद नियोगी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई बंद कमरे में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा प्रकरण की सुनवाई पुनः खुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूत हुई है।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में ~~आज~~ दिनांक ~~२३~~ 20-5-95 को उक्त प्रकरण की सुनवाई होने पर मैं भी अदालत कक्ष में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपीगण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुलजिम कटघरा (Accused Box) खाली था, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कि वकील महोदय लोग भी खड़े थे।

(६) यह कि चाय की छुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरु होने पर मैं अदालत कक्ष में रखी गई बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभियुक्तगणों व पुलिस कर्मियों को बैठाने के लिये बेंच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों को अदालत कक्ष में बैठने की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

द.नि.
मानाबाई

सत्यापन :- मैं माना बाई जौजे काशीराम, सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र की कंडिका २ से ७ तक के कथन मेरी जानकारी से सही है, अतः आज दिनांक २३-५-९५ को पढ़कर, समझकर आज अंगूठा निशानी ~~हस्ताक्षर~~ दुर्ग में कर दी।

द.नि.
मानाबाई

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूँ।

(signature)
(Sanjiv)

शपथ कर्ता

[redacted]माना

पहचान कर्ता

प्रतिज्ञा का नाम : काशीराम

Danjiri

D. Sanjiri
Advocate

डी. संजीरी एडवोकेट

24/5/95

S.P. Agrawal

24/5/95

समक्ष: श्रीमान नोटरी, वा (...)

:- शपथ - पत्र :-

मैं, दुलारी बाई जौजे बलदाऊ, उम्र ३० साल साकिन घासीदास नगर, जामुल, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग की हूं जो कि नीचे लिखे निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करती हूं :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करती हूं तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूं।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्पन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह एवं अन्य माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लंबित है।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद नियोगी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई बंद कमरे में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा प्रकरण की सुनवाई पुनः खुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूत हुई है।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में आज दिनांक २४-५-९५ को उक्त प्रकरण की सुनवाई होने पर मैं भी अदालत कक्ष में उपस्थित हुआ था, जहां मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपीगण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुलजिम कटघरा (accused Box) खाली था, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहां तक कई वकील महोदय लोग भी खड़े थे।

(६) यह कि चाय की छुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्ष में रखी गई बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभियुक्तगणों व पुलिस कर्मियों को बैठाने के लिये बेंच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों को अदालत कक्ष में बैठने की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

दुलारी

सत्यापन :- मैं दुलारी बाई जौजे बलदाऊ, सत्यापित करती हूं कि शपथ-पत्र की कंडिका १ से ७ तक के कथन मेरी जानकारी से सही है, अतः आज दिनांक २४-५-९५ को पढ़कर, समझकर अपना ~~हस्ताक्षर~~ अंगुष्ठ निशानी, दुर्ग में कर दी।

शपथकर्ता, दुलारी

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूं।

(D. Sanjivi Advocate)

प्र.पक्षकारी

अ.नि. दुलारीबाई

गवाह दुलारी बाई

प्रतिनिधि दुलारबाई

डॉ. संजीवनी

24/5/95

S. P. Agrawal

24/5/95

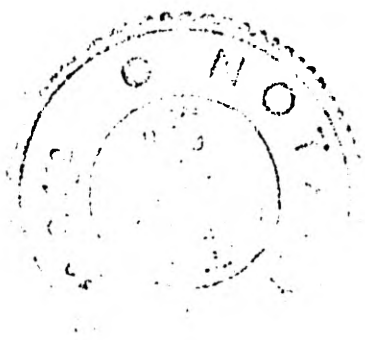

प्रथम पक्षकार

D. Sanjivi
Adv.